बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0–12 / स्था0–01–27 / 2025

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–3803 दिनांक 29.09.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता, (आई0डी0–जे0 11792), कनीय अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर का स्वयं के दुर्घटना होने के कारण दिनांक 15.09.2025 से 10.12.2025 तक कुल–87 (सतासी) दिनों तक करायी गयी चिकित्सा अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–180 (क) एवं (ख) के तहत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक–3803 दिनांक 29.09.2026 के प्रसंग में / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर / श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता, (जे0 11792), कनीय अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 6280 पटना / दिनांक – 30/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।